रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 253] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 1974/ज्येष्ठ 17, 1896

No. 253] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 1974/JYAISTHA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th June 1974

S.O. 347(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri H. N. Bahuguna, a member elected to that House from 56-Allahabad Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh as determined by the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1966;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 140 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before 15 July, 1974, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/UP-HP/1/74(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून 1974

एस० ओ० 347 (अ)—अत :, संसदीय तथा सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 द्वारा यथा निर्धारित उत्तर प्रदेश राज्य के 56—इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री० एस०एन० बहुगुणा के त्यागपत्र दे दिए जाने के परिणाम स्वरूप उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अत :, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 15 जुलाई, 1974 से पूर्व उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसरण एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/उ०प्र०—लो०स०/1/74(1)]

S.O. 348(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints with respect to the bye-election to be held in 56-Allahabad Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/1/74(1), dated 7 June, 1974—

(a) 14 June, 1974 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) 15 June, 1974 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 17 June, 1974 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 10 July, 1974 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 15 July, 1974 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/UP-HP/1/74(2)]

एस० ओ० 348 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ०प्र०—लो०स०/1/74(1), तारीख 7 जून, 1974 के अनुसरण में 56—इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख . .	14 जून, 1974 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख . .	15 जून, 1974 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	17 जून, 1974 (सोमवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा	10 जुलाई, 1974(बुधवार)
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	15 जुलाई, 1974(सोमवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/उ०प्र०—लो०स०/1/74(2)]

S.O. 349(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 56-Allahabad Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/1/74(1), dated 7 June, 1974.

[No. 100/UP-HP/1/74(3)]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN Secy.

एस० ओ० 349 **(अ)**.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ०प्र०—लो०स०/1/74(1), तारीख 7 जून, 1974 के अनुसरण में 56—इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8—00 बजे पूर्वाह्न से 5—00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/उ०प्र०—लो०स०/1/74(3)]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974